2020/00120

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

भवरलाल वगै0 बनाम मदनलाल वगै0

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट — अपील संख्या 62/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
22.12.2020	अपीलांट अभिभाषक उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलांट ने अपनी बहस मे बताया कि अपीलांट के खिलाफ कोई दावा पेश नहीं हो, तब तक किसी तरह की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, अधिनस्थ न्यायालय नें दावे में पक्षकार बिना बनाये ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया जो विधि के विपरीत है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अदालत मातहत ने दिनांक 17.07.2019 को रेस्पो0/प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सं0 48/16 बउनवानी बदरी बनाम मदन को नोट प्रेस में खारिज किया गया था अदालत मातहत को गुमराह करते हुऐ नये सिरे से मिन अपी0 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर आलोच्य आदेश एक पक्षीय पारित करवा लिये गये है। रेस्पो0 सं0 2 ल0 5 ने भी प्रार्थना पत्र की प्लीडिंग में स्वीकार किया है उक्त आराजी जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की है। अदालत मातहत को गुमराह कर गलत आधारो पर आलोच्य आदेश पारित करवाया है जो निरस्तनीय है। हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। चूकि: अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/2020 उनवानी बदरी वगै0 बनाम मदनलाल वगै0 में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यथासंभव प्रकरण का निस्तारण एक माह मे करे। पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner